सरकार के रूप

(1)

संसदात्मक शासन व्यवस्था

व्यवस्थापिका व कार्यपालिका के आपसी सम्बन्धो के आधार पर सरकार दो तरह की होती हैं एक संसदात्मक शासन व दूसरा अध्यक्षात्मक शासन

यदि कार्यपालिका अपने कार्य कार्यकाल के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी हो। कार्यपालिका के सदस्य अनिवार्य रूप से व्यवस्थापिका के सदस्य हो तथा कार्यपालिका के दो प्रमुख 'नाममात्र व वास्तविक' हो तो उसे संसदात्मक शासन व्यवस्था कहते है।

* गार्नर ने इसे परिभाषित करते हुए कहा कि - "यह वह व्यवस्था है जिसमें वास्तविक कार्य पालिका अपने राजनैतिक निर्णय व नितियो के लिए तात्कालिक रूप से व्यवस्थापिका लोकप्रिय सदन के प्रति तथा अन्तिम रूप से जनता के प्रति कानूनी रूप से उत्तरदायी हो।

* सर आइवर जेनींग्स ने संसदात्मक व्यवस्था को "मंत्रिमण्डल शासन" अथवा "केबिनेट शासन" कहा है।

* जबकि क्रोस मेन ने इसे 'प्रधानमंत्री शासन" का नाम दिया है।

- संसदात्मक व्यवस्था का प्रारम्भ ब्रिटेन से हुआ तथा उसे ही इस व्यवस्था का आदर्श उदाहरण माना जाता है। भारत आस्ट्रेलिया, कनाडा (1) आदि में भी संसदीय व्यवस्था है जबकि फ्रांस व श्रीलंका को अर्द्ध संसदात्मक अथवा अर्द्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था कहते हैं।

संसदीय व्यवस्था की विशेषताएं

(1) नाममात्र व वास्तविक कार्यपालिका अलग अलग

(2) प्रधानमंत्री का नेतृत्व => संसदात्मक व्यवस्था में प्रधानमंत्री शासन के प्रमुख के रूप में कार्य करता है।

Imp लास्की ने कहा कि "संसदीय शासन में मंत्रिमण्डल के निर्माण और अन्त में प्रधानमंत्री निर्णायक भूमिका निभाते हैं।

- रेम्जेम्योर ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री को 'निर्वाचित तानाशाह' की संज्ञा दी जो अन्य अन्य संसदीय व्यवस्था के लिए लागू होता है।

(1) इजरायल, न्यूजीलैंड, जर्मनी, इटली, जापान, बांग्लादेश, पाकिस्तान

(2)

Imp

(3) सामूहिक उत्तरदायीत्व - मंत्रिपरिषद का व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व संसदीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण व्यवस्था है इसमें यह माना जाता है कि "सभी एक साथ डूबते हैं और सभी एक साथ तैरते हैं।

प्रधानमंत्री का त्याग पत्र पूरे मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र होता है।

प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव माना जाता है।

(4) मंत्रिपरिषद की राजनैतिक एकरूपता - जिस दल को व्यवस्थापिका के लोकप्रिय सदन (भारत के सन्दर्भ में लोकसभा) को बहुमत प्राप्त होता है। उसी दल के सदस्य मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं। यद्यपि किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न होने की स्थिति में गठबन्धन में शामिल दल के सदस्य भी मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं।

(5) कार्यपालिका के कार्यकाल की अनिश्चितता - संसदीय व्यवस्था की यह महत्वपूर्ण विशेषता है की कार्यपालिका का कार्यकाल व्यवस्थापिका के विश्वास पर आधारित होता है। व्यवस्थापिका का लोकप्रिय सदन यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित करे तो कार्यपालिका को अपने पद से हटना होता है

(6) व्यवस्थापिका व कार्यपालिका में घनिष्ठ सम्बन्ध

संसदीय व्यवस्था के गुण	अवगुण
1. व्यवस्थापिका व कार्यपालिका में घनिष्ठ सम्बन्ध	1. शासन में अस्थिरता
~~2. संकटकाल में अनुपयुक्त~~	2. संकटकाल में अनुपयुक्त
3. राजनैतिक शिक्षा	3. शक्ति पृथक्करण सिद्धान्त की अवहेलना।
4. ज्यादा जनतान्त्रिक प्रक्रिया	4. बहुमत के अभाव में कार्यपालिका के गठन में परेशानी
2. लचीला शासन	5. दलीय निरंकुशता

अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली

अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधार शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धान्त है। V.IMP. जिसे USA से ग्रहण किया है

संसदात्मक व्यवस्था की ठीक विपरित व्यवस्था को अध्यक्षात्मक व्यवस्था कहते हैं। इसमें कार्यपालिका अपने कार्यों और कार्यकाल के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होते कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं होते तथा नाममात्र व वास्तविक कार्यपालिका अलग-अलग नहीं होती है।

गार्नर के शब्दों में - यह वह व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति अपने मंत्रियों सहित संवैधानिक रूप से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता तथा अपने राजनैतिक कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति जवाबदेय नहीं होता है।

* अमेरिका को अध्यक्षात्मक व्यवस्था का आदर्श उदाहरण माना जाता है।

ब्राजिल, अर्जेन्टिना, दक्षिण कोरिया आदि देशों में भी अध्यक्षात्मक व्यवस्था है।

* अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता :-

1. नाममात्र व वास्तविक कार्यपालिका अलग-अलग नहीं (ठि)
2. राष्ट्रपति ही वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख
3. व्यवस्थापिका व कार्यपालिका में पृथक्करण (दोनो अलग-अलग) शक्ति पृथक्करण
4. कार्यपालिका के कार्यकाल की निश्चितता

* अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के गुण	अवगुण
1. कार्यपालिका के कार्यकाल की निश्चितता	1. प्रशासनिक एकता के सिद्धान्त का उल्लंघन (कार्यपालिका व व्यवस्थापिका दोनो अलग)
2. आपातकाल में उपयुक्त	2. राष्ट्रपति की निरकुंशता
3. शक्ति पृथक्करण पर आधारित	3. कम राजनैतिक शिक्षा।
4. योग्य व्यक्तियों का शासन	4. मंत्रिपरिषद का अनुत्तरदायीत्व स्वरूप => अध्यक्षात्मक में मंत्रिपरिषद के सदस्य जनता अथवा व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी न होकर केवल राष्ट्रपति के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। इसलिए अमेरिकी मंत्रियों को "अल्प रक्षक" की संज्ञा दी जाती है।

अर्द्ध अध्यक्षात्मक - फ्रांस, श्रीलंका, पुर्तगाल, रूस आदि।

संघात्मक शासन व्यवस्था :

केन्द्र सरकार व राज्य सरकारों के आपसी संबंधों के आधार पर सरकार दो तरह की होती है व्यक्ति के केन्द्रीकरण और विकेन्द्रीकरण के आधार पर पुनः तरह
1 संघात्मक 2 एकात्मक

* जिस देश में संविधान द्वारा केन्द्र व राज्यों की सरकार के बीच शक्तियों का बटवारा हो तथा स्वतन्त्र न्यायपालिका हो तो उसे संघात्मक शासन कहते हैं।

* संघ के लिए अंग्रेजी में 'फेडरल' शब्द का इस्तेमाल होता है जो लेटिन भाषा के 'फेडस' से बना है जिसका अर्थ होता है संधि या समझौता। अतः यह माना जाता है कि संघीय व्यवस्था राज्यों के आपसी समझोते का परिणाम है।

* राज्यों के और केन्द्र की सरकार के बीच स्थापित संधि के आधार संघ मुख्य रूप से तीन प्रकार का हो सकता है।

1. अविनाशी राज्यो का अविनाशी संघ - जिस संविधान मे यह प्रावधान हो कि किसी राज्य की अनुमति के बिना उसके नाम सीमा या क्षेत्र में संघ सरकार द्वारा परिवर्तन न किया जा सकता हो और न ही किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार है। "अमेरिकी संघीय व्यवस्था इसका उदाहरण है।

2. अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ :- वह व्यवस्था जिसमें संघ की सरकार किसी राज्य के नाम सीमा और क्षेत्र मे परिवर्तन नही कर सके लेकिन राज्य सरकारे संघ से अलग हो सकती हैं। जैसे पूर्व-सोवियत संघ

3. विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ - इसके अन्तर्गत संघ की सरकार को यह अधिकार होता है कि वह किसी राज्य की सहमति के बिना ही उसके नाम सीमा और क्षेत्र मे परिवर्तन कर सके लेकिन राज्यो को संघ से स्वतन्त्र होने का अधिकार नही। जैसे- भारत का संघ

संघात्मक व्यवस्था - USA, कनाडा, भारत, स्विट्जरलैण्ड, ऑस्ट्रेलिया, यूगोस्लाविया, आ. ... (5)

Page 11

इस तरह संघीय व्यवस्था विभिन्न राज्यों के आपसी समझौते पर आधारित व्यवस्था है इसे परिभाषित करते हुए -

डायसी ने कहा कि " संघात्मक राज्य एक ऐसे राजनैतिक उपाय के अतिरिक्त कुछ नहीं है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और राज्यों के अधिकारों में मेल स्थापित करना है।

→ के.सी. व्हीयर ने अपनी पुस्तक "फेडरल गवर्नमेन्ट" में लिखा है कि - संघात्मक सिद्धान्त से मेरा तात्पर्य शक्तियों के विभाजन की विधि से है जिसमें सामान्य सरकार (केन्द्र सरकार) और प्रादेशिक सरकार (राज्य) प्रत्येक अपने क्षेत्र में स्वतन्त्र व समकक्ष रहें।

→ अब्राहम एवं कोरी ने लिखा कि - "संघवाद सरकार का ऐसा दोहरा रूप है जो विविधता के साथ एकता का समन्वय करता है।"

संघीय व्यवस्था की विशेषताएँ-

1. संविधान के द्वारा शक्तियों का विभाजन:- यह संघीय व्यवस्था की बुनियादी विशेषता है इसमें संघ की सरकार व राज्यों की सरकारें दोनों ही अपनी शक्तियाँ संविधान से प्राप्त करते हैं अतः राज्य सरकारें केन्द्र के अधीन न होकर उसके समकक्ष होती हैं।

शक्ति विभाजन के तीन तरीके हो सकते हैं।

1. केन्द्र सरकार की शक्तियों को परिभाषित कर अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को सौंपी जाएँ। जैसे - U.S.A.
2. राज्यों की शक्ति को परिभाषित कर अवशिष्ट शक्तियां केन्द्र ~~को सौंपी~~ को सौंपी जाएं। जैसे - कनाडा
3. केन्द्र व राज्य दोनों की शक्तियों को परिभाषित कर ~~अव~~ अवशिष्ट शक्तियां केन्द्र को सौंपी जाए- जैसे- भारत

(6)

Date
Page 102

2 दोहरी सरकार :- चूंकि संघीय सरकार में केन्द्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बटवारा होता है। अतः इसमें दो प्रकार की सरकार होती है।
1 केन्द्र सरकार जो पुरे देश के लिए महत्वपूर्ण कार्यों का निर्वहन करती है।
2 प्रत्येक राज्य की सरकार जो राज्य के अन्दर स्थानीय महत्व के कार्य करती है।

3 स्वतन्त्र न्यायपालिका :- केन्द्र व राज्य सरकारें एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नही करे और कोई भी सरकार संविधान का उल्लंघन नही करे इसके लिए स्वतन्त्र न्यायपालिका अनिवार्य है। इसी आधार पर न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार भी दिया गया है।

4 सर्वोच्च व लिखित संविधान- संघीय व्यवस्था मे केन्द्र सरकार व राज्य सरकारें दोनो ही अपनी शक्ति संविधान से प्राप्त करते है अतः इसमे संविधान सर्वोच्च होता है। साथ ही संविधान का लिखित होना आवश्यक है साथ ही शक्तियो के बटवारे को लेकर अनावश्यक विवाद न हो।

5 दोहरी नागरिकता :- सामान्यतः संघीय व्यवस्था में नागरिको को दोहरी नागरिकता प्राप्त होती है। एक देश की नागरिकता व दूसरी उस प्रांत की नागरिकता जिसमे वह निवास करता है।
= भारत में संघीय व्यवस्था के बावजूद इकहरी नागरिकता है।

संघ निर्माण की आवश्यकता

1. अपने स्वतन्त्र अस्तित्व की रक्षा के साथ एक होने की भावना:- संघीय व्यवस्था हेतु दो विरोधी भावनाओं का होना आवश्यक है। एक तरफ राज्य अपने स्वतन्त्र अस्तित्व के लिए ~~स्वा~~ संचेत रहे साथ ही ~~उ~~ उसमें राष्ट्रीय एकीकरण की भावना भी हो।

डायसी - "राष्ट्रीय एकता की इच्छा तथा ~~सकल्प होना आवश्यक है।~~
प्रत्येक राज्य की स्वायत्तता का दृढ़ संकल्प होना आवश्यक है।"

2. भौगोलिक समीपता
3. भाषा इतिहास व संस्कृति
4. सामाजिक व आर्थिक विकास
5. केन्द्र राज्य समन्वय
6. राजनैतिक चेतना
7. पर्याप्त आर्थिक ससाधन

संघ के प्रतिमान:-

1. संघीय सरकार व राज्य सरकार के आपसी संबंध और विभिन्न राज्यों के आपसी संबंधो के आधार पर संघवाद के तीन प्रतिमान हैं।
~~केन्द्रीय प्रतिमान है।~~

1. सहकारी / सहयोगी संघवाद - जिस देश में संघ की सरकार व राज्य सरकारों के बीच तथा विभिन्न राज्यों के बीच सरकारी और गैर सरकारी दोनो स्तर पर सहयोग की भावना हो तो उसे सहयोगी संघवाद कहते हैं। इसमें दोनो स्तर की सरकारें देश के विकास और जनकल्याण में अपनी भूमिका का निर्वहन करती हैं। आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए विभिन्न देशों ने ऐसे प्रावधान किए जाते हैं-
जैसे- ऑस्ट्रेलिया में अन्त: प्रादेशिक सम्मेलन, U.S.A. में गर्वनर सम्मेलन, ~~वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास~~
भारत में - मुख्यमंत्री व राज्यपाल सम्मेलन, वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद अन्तर्राज्यीय परिषद आदि।

* ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय व्यवस्था को सहयोगी संघवाद कहा है।

(8)

Page 102

2. सौदेबाजी वाला संघ – केन्द्र व राज्य की सरकारो के बीच यदि सहज सहयोग की बजाय समझौते व सौदेबाजी वाले सम्बन्ध स्थापित हो तो उसे सोदेबाजी वाला संघ कहते हैं किसी देश में एक समय में सहकारी संघ हो सकता है तो उसी देश में दूसरे काल में सौदेबाजी वाला संघ भी स्थापित हो सकता है।

सामान्यत: ऐसी स्थिति तब आती है जब केन्द्र में किसी दलकी तथा राज्यो के अन्दर दूसरे दल में क्षेत्रीय दलो की स्थापना होती है तब इन सरकारो के बीच हितों का टकराव होता है और सोदेबाजी की स्थिती पैदा होती है।

भारत मे 1967 से पूर्व दोनो स्तर पर एक ही दल का शासन होने के कारण सहयोग की भावना रही –

* उसके बाद की स्थिति के आधार मॉरिस जोन्स ने भारतीय संघ को सोदेबाजी वाला संघ कहा।

③ एकात्मवादी संघवादी :– समकालीन संघीय व्यवस्था की यह एक विशेषता है कि अधिकांश कार्य वर्तमान में संघ सरकार द्वारा सम्पादित होते हैं। जो कार्य प्रान्त प्रादेशिक सरकारो के पास होते हैं वे कार्य भी वर्तमान में केन्द्र सरकार करती है।

= के० सी० व्हीयर के शब्दो मे – सभी संघीय सरकारो में एक सामान्य प्रवृति दिखाई देती है कि केन्द्रीय सरकार अधिक शक्तिशाली बन गई।

इसके केन्द्रीकरण के अनेक कारण हैं।

1. अन्तरराष्ट्रीय राजनीति –
2. दलीय राजनीति –
3. तकनीकी विकास –
4. आर्थिक सहायता
5. लोककल्याण कारी अवधारणा आदि शामिल है

संघीय व्यवस्था के लाभ:

1. राष्ट्रीय एकता व स्थानीय स्वशासन मे
2. राज्यो की शक्ति मे बढोत्तरी
3. अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा मे बढोतरी
4. निरंकुशता का खतरा नही
5. बडे राज्यो के लिए उपयुक्त

संघीय व्यवस्था के दोष:

1. अत्यधिक खर्चीली प्रणाली
2. आन्तरिक प्रशासन सम्बन्धित निर्बलता
3. विदेश नीति के संचालन मे कठिनाई

   के॰सी॰ व्हीयर- "संघवाद और उत्साहपूर्ण विदेश साथ-साथ नही चल सकती है।"
4. उत्तरदायित्व की अनिश्चितता
5. राष्ट्रीय एकता पर खतरा।

एकात्मक शासन व्यवस्था

जिस देश में संविधान के द्वारा केन्द्र और राज्यो के बीच शक्तियों का बटवारा नही हो अपितु शासन की सारी शक्ति केन्द्र सरकार में ही तो उसे एकात्मक व्यवस्था कहते है

- ब्रिटेन, चीन, फ्रांस आदि एकात्मक शासन के उदाहरण है।
बांग्लादेश, मिस्र जापान, न्यूजीलैंड, तुर्की

- डायसी के शब्दो में "सर्वोच्च विधायी सत्ता का केन्द्रीय शक्ति द्वारा स्वाभाविक प्रयोग एकात्मक व्यवस्था का विशिष्ट लक्षण है।

- गार्नर → "जहां शासन की संपूर्ण शक्ति संविधान द्वारा एक केन्द्रीय सरकार अथवा उसके अंगो को दी गयी है जहा सत्ता का केवल एक ही स्रोत होता है और जहाँ एक ही इच्छा प्रभावी होता है उसे एकात्मक शासन कहते है।

- एकात्मक शासन का अर्थ यह नहीं है कि प्रादेशिक अथवा स्थानीय सरकारे होती ही नही। जैसे - ब्रिटेन में काउन्टी व बारो तथा फ्रांस में प्रशासनिक विभाग के रूप में स्थानीय सरकारे होती है लेकिन इन स्थानीय सरकारो की शक्ति का माध्यम संविधान न होकर केन्द्र की सरकार होती है। अतः एकात्मक शासन व्यवस्था में स्थानीय सरकारे केन्द्र सरकार के अधीनता में कार्य करती है। उसका कार्यकाल और भविष्य केन्द्र सरकार की दया पर निर्भर रहता है।

~~एकात्मक व्य~~

एकात्मक व्यवस्था के गुण
① कम खर्चीली व्यवस्था
② आपात स्थिती में उपयुक्त
③ छोटे देशो के लिए उपयुक्त
④ विदेश नीति में सहायक

दोष :-
① निरंकुशता की सम्भावना ② असमान विकास की सम्भावना
③ स्थानीय मामलों की उपेक्षा ④ कम राजनीतिक शिक्षा

ब्रिटेन – संसदात्मक, एकात्मक
भारत – संसदात्मक, संघात्मक
अमरीका – अध्यक्षात्मक, संघात्मक
कनाडा – अध्यक्षात्मक, संघात्मक
फ्रांस – अर्द्ध अध्यक्षात्मक, एकात्मक

एकात्मक प्रणाली – शक्ति का केन्द्रीकरण ✓
संघात्मक प्रणाली – शक्ति वितरण ✓
अध्यक्षात्मक – शक्ति पृथक्करण ✓
संसदीय – शक्ति समन्वय ✓